न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

A 1/19

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्या 78/2014

वादीगण :–

1.मालीराम पुत्र हनुमानराम उम्र 40 वर्ष जाति बलाई निवासी रूलाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर जरिये मुख्त्यारनामा आम रामकुमार पुत्र नन्दाराम जाति ब्राहम्ण उम्र 64 निवासी कुकनवाली तहसील नावां जिला नागौर

2.मोहनलाल पुत्र रूघनाथ प्रसाद जाति बलाई उम्र 50 वर्ष निवासी काबरो का बास तहसील फुलेरा जिला जयपुर जरिये मुख्त्यारनामा आम रामकुमार पुत्र नन्दाराम जाति ब्राहम्ण उम्र 64 निवासी कुकनवाली तहसील नावां जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1.रामकुंवार पुत्र नन्दलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी
2.नटवरलाल पुत्र नन्दलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी
3.धर्मेन्द्र कुमार पुत्र स्व.जीवणनाथ जाति योगी निवासी कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी
4.सुमनदेवी पत्नी स्व. सम्पत कुमार जाति योगी निवासी कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी
5.विद्यादेवी पत्नी स्व. जीवणनाथ जाति योगी निवासी कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी
6.रामेश्वर नाथ पुत्र किशननाथ जाति योगी निवासी कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी
7.नरपतलाल पुत्र किशननाथ जाति योगी निवासी कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी
8.प्रभातीदेवी पत्नी स्व.किशननाथ जाति योगी निवासी कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी
9.बिशनसिंह पुत्र स्व. अमरसिंह जाति राजपूत निवासी कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी
10.सुरजकरण पुत्र छिगनाराम जाति खटीक निवासी कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी
11.राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधी तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर

दावा बाबत घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती व भू– विभाजन अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री पुष्पेन्द्रसिंह अधिवक्ता वादीगण की ओर से ।

निर्णय

दिनॉक :– 13/8/15

प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी मे स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 574 रकबा 0.15 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी, खसरा नम्बर 575 रकबा 1.70 हैक्टर,खसरा नम्बर, 578 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 578 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 588 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 589 रकबा 1.82 हैक्टर, खसर नम्बर 590 रकबा 1.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 591 रकबा 2.41 हैक्टर कुल रकबा 9.15 हैक्टर स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि मे प्रतिवादी रामकुवर, नटवरलाल का हिस्सा 2.09 हैक्टर है, प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8 का 2.52 हैक्टर हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 9 का 1.69 हैक्टर है, प्रतिवादी सख्या 10 का 0.95 हैक्टर हिस्सा है । वादीगण का 1.90 हैक्टर हिस्सा है । उपरोक्त भूमि पवन कुमार दत्तक पुत्र स्व. हीराराम, दड़कली देवी पत्नी स्व. हीराराम ने सम्पूर्ण हिस्सा 1.90 हैक्टर जरिये रजिस्टर्ड बैचान खरीद की थी जिसका नामान्तरकरण 960 दिनॉक 07.03.2011 को वादीगण के पक्ष मे अमल दरामद हो गया तथा वादीगण खातेदार काश्तकार अन्य खातेदारान के साथ सह खातेदार दर्ज होकर काबिज काश्त हुये। उपरोक्त

............2.........

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

भूमि का बंटवारा मौखिक रूप से खातेदारान के साथ काफी समय पूर्व हो चुका है तथा उसी अनुसार नींव सींव कायम होकर अलग–अलग काश्त करते आ रहे है । पवन कुमार दत्तक पुत्र स्व. हीराराम, दड़कली देवी पत्नी स्व. हीराराम ने अपने हिस्से की भूमि रकबा 1.90 हैक्टर भूमि का कब्जा भी उसी अनुसार वादीगण को संभलाया जिस प्रकार वे खसरा नम्बर 589 रकबा 1.82 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 579 मे पश्चिमी तरफ की उत्तर से दक्षिण भूमि रकबा 0.08 हैक्टर जो खसरा नम्बर 589 के पूर्वी तरफ है । उपरोक्त वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी मे दर्ज चली आ रही है । जिसका राजस्व रेकार्ड में उक्त अनुसार विभाजन होना शेष है । नजरी नक्शा की प्रति वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत की गई है । प्रतिवादीगण को खाता विभाजन विधिवत राजस्वच अधिकारियो व सक्षम न्यायालय मे करवाने का कहा तो उन्होन स्पष्ट मना कर दिया । वादीगण अपनी हिस्से एवं कब्जे की उपरोक्त भूमि का बंटवारा चाहा है । वादीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी मे स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 574 रकबा 0.15 हैक्टर गै.मु. ढ़ाणी, खसरा नम्बर 575 रकबा 1.70 हैक्टर,खसरा नम्बर, 578 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 578 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 588 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 589 रकबा 1.82 हैक्टर, खसर नम्बर 590 रकबा 1.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 591 रकबा 2.41 हैक्टर कुल रकबा 9.15 हैक्टर मे से वादीगण के कब्जे काश्त व हक हिस्से की भूमि रकबा 1.90 हैक्टर खसरा नम्बर 589 रकबा 1.82 हैक्टर सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 579 मे से पश्चिमी तरफ की भूमि रकबा 0.08 हैक्टर जो उत्तर से दक्षिण स्थित है तथा खसरा नम्बर 589 के पूर्वी तरफ है के नजरी नक्शा अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार अलग से घोषित कर राजस्व रेकर्ड मे संशोधन कर अलग से दर्ज किया जावें तथा इसी माफिक बंटवारा कर वादीगण की जोत व लगान अलग से कायम कर नक्शे में अलग से दर्शित किए जाने के आदेश प्रतिवादी 11 को दिए जायें इस आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें ।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । पत्रावली केम्प कोर्ट कुकनवाली में पेश हुई । प्रतिवादी संख्या 11 तहसीलदार कुचामनसिटी उपस्थित । कोई जवाब पेश नही करना चाहा । पक्षकारान ने राजीनामा हेतु समय चाहा, समय दिया जाकर पत्रावली फोलोअप केम्प मे रखी गई । पक्षकारान ने दिनॉक 26.07.2015 को राजीनामा पेश किया । राजीनामा शामिल मिसल किया गया । वकील वादी उपस्थित । वकील वादी ने बहस सुनाई । बहस सुनी गई । बहस दौरान बताया कि पक्षकारान के राजीनामा हो चुका है । माफिक राजीनामा वाद डिक्री फरमाया जावें । वादी के वाद पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात व राजीनामा इत्यादि का अवलोकन व वकील वादीगण की बहस का मनन करने पर न्यायालय का मत है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने से वादीगण का वाद जरिये राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है । इसलिये वादीगण का वाद जरिये राजीनामा डिक्री किया जाता है ।

आदेश

ग्राम कुकनवाली के खसरा नम्बर 589 रकबा 1.82 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.34 हैक्टर में से 0.08 हैक्टर कुल 1.90 हैक्टर का वादीगण मालीराम पुत्र हनुमानराम जाति बलाई निवासी रूलाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ,मोहनलाल पुत्र रूघनाथ प्रसाद जाति बलाई निवासी काबरो का बास तहसील फुलेरा जिला जयपुर को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । राजीनामा डिक्री का भाग

............3..........

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

A 3/21

रहेगा । शेष खसरा नम्बरान मे से वादीगण का नाम हटाया जाता है तथा शेष खाता बदस्तूर रहेगा । राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो । डिक्री पर्चा भरा जावें ।

निर्णय आज दिनॉक 17/8/15 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
कुचामनसिटी (नागौर)